

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान-2018 अटल सेवा केन्द्र उण्डखा

क्रमांक रीडर/2018/ 1355

दिनांक - 18-6-2018

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1 हनीफ पुत्र मोहम्मद बक्श जाति तेली (मुसलमान) निवासी तेलियों का वास तहसील व जिला बाड़मेर।


1 उत्ताराम 2 पदमाराम 3 हुकमाराम 4 उम्मेदाराम 5 राजराम पिसरान इशराराम 6 धापूदेवी पत्नी इशराराम जाति जाट निवासी कुर्जा 7 पुरुषोत्तमदास 8 राकेश कुमार पिसरान बाबूलाल जाति जैन निवासी ढाणी बाजार पीपली चौक बाड़मेर 9 प्रेमसिंह पुत्र टीलसिंह 10 भूरसिंह पुत्र बीजराजसिंह जाति राजपूत निवासी उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :-43/2018

दिनांक-12.06.2018

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा उण्डखा पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 567/219 रकबा 04.02 बीघा व खसरा संख्या 576/219 रकबा 02.00 बीघा कुल रकबा 06.02 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा गौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,


बाड़मेर

दिनांक- 18-6-2018

क्रमांक :- रीडर/2018/ 1356 - 59

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी हनीफ पुत्र मोहम्मद बक्श जाति तेली (मुसलमान) निवासी तेलियों का वास तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी उत्ताराम पुत्र इशराराम वगैराह जाति जाट निवासी कुर्जा तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर